कार्यालय चुनाव अधिकारी
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ,श्री नानकमत्ता साहिब
जिला ऊधम सिंह नगर ।

<u>अधिसूचना</u>

No- 03 / Elections /GSNMS/2021-22 Dated: 31-01-2022

गुरुद्वारा प्रबंन्ध समिति नानकमत्ता साहिब के चुनाव के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा
अधिसूचना सं0–01/GSNMS/Elections /2021 दिनाँक– 25.12.2021 जारी की गई थी
जिसके बिन्दु सं0–03 द्वारा अधिसूचित हलकों से नवीन गुरुद्वारों के सम्बद्वता/पंजीकरण हेतु
उचित व पूर्ण रुप से भरे हुये आवेदन पत्र 10 रुपये के पोस्टल आर्डर के साथ चुनाव अधिकारी
के कार्यालय (कक्ष सं0–15/ए कलेक्ट्रेट भवन रुद्रपुर , ऊधम सिंह नगर) में दिनांक 24.01.2022
समय अपरान्ह 03.00 बजे तक जमा किया जाना अधिसूचित किया गया था । उपरोक्त के कम
में दिनांक 24.01.2022 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक कुल 227 नवीन संबद्वता/पंजीकरण
आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 199 गुरुद्वारों की सम्बद्वता/पंजीकरण की सूची हलकावार
तैयार की गई है तथा शेष 28 गुरुद्वारों के आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया अधिघोषित चुनावी हलकों
की परिधि से बाहर होने के कारण उक्त 28 आवेदन पत्रों की सूची पृथक रुप से तैयार की गई
है। उपरोक्त समस्त 227 सम्बद्वता/पंजीकरण आवेदन पत्रों का प्रकाशन सूची
बनाकर(संलग्नक–अ) के रुप में प्रकाशित किया जाता है।

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (M/S) सं0– 7064/ 2001 , हरदेव
सिंह बनाम भारत गणराज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 के प्रकाश में गुरुद्वारा
प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चयन हेतु चुनाव 2016 में पंजीकृत गुरुद्वारों की
तत्कालीन चुनाव अधिकारी द्वारा जारी हलकावार सूचियों को (संलग्नक– ब) में प्रकाशित किया
जाता है तथा सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्नक–ब की नवीन टंकित प्रति तैयार करवाकर (संलग्नक–
स) में प्रकाशित किया जाता है। उक्त तीनों सूचियों यथा संलग्नक–अ ,संलग्नक–ब व
संलग्नक–स का प्रकाशन गुरुद्वारा नानकमत्ता सहिब की वेबसाईट
<u>www.nanakmattasahib.com</u> पर अपलोड कर किया जाता है। समस्त हल्कों की संबंधित
गुरुद्वारा समितियां /इच्छुक व्यक्ति/संस्थान आदि गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की वेबसाईट से
उपरोक्त सूचियां डाउनलोड कर सकते है।

उपरोक्त आवेदनों के विरुद्व आपत्तियों को चुनाव अधिकारी के कार्यालय (कक्ष
सं0–15/ए कलेक्ट्रेट भवन रुद्रपुर , ऊधम सिंह नगर) में दिनांक 07.02.2022 समय अपरान्ह 03.
00 बजे तक भेजा जाना अनिवार्य है। उक्त दिनाँक एवं समय के बाद किसी भी आपत्ति पर

31/01/2022

विचार नहीं किया जायेगा । आपत्तियों के निस्तारण , (यदि कोई हो) व जांचोपरान्त अंतिम संबद्वता/पंजीकरण सूची का प्रकाशन दिनांक 09.02.2022 को गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की वेबसाईट www.nanakmattasahib.com पर अपलोड कर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से सूचियां उपलब्ध कराने पर विचार नहीं किया जायेगा।

चूंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्यों में (विधानसभा निर्वाचन 2022) की प्रक्रिया गतिमान है अतः गुरुद्वारा चुनाव के संबंध में पूर्व में दिनांक 25.12.2021 को प्रकाशित अधिसूचना में गुरुद्वारों की सम्बद्वता/पंजीकरण की अंतिम सूची के प्रकाशन की दिनांक 09.02.2022 के उपरान्त के चुनाव कार्यक्रम में आंशिक बदलाव प्रस्तावित/संभाव्य है। समस्त हल्कों की संबंधित गुरुद्वारा समितियों/इच्छुक व्यक्तियों/संस्थानों आदि को सूचित किया जाता है कि निर्वाचन से संबंधित सभी सूचनायें समय समय पर गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की वेबसाईट www.nanakmattasahib.com पर अवलोकित कर सकते हैं।

नोट–समस्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार , राज्य सरकार एवं संबन्धित जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी कोविड–19 गाईडलाइन्स एंव विधान सभा निर्वाचन 2022 की आदर्श आचार संहिता की गाईडलाइन्स का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

31/01/2022

(जय भारत सिंह)
पी0सी0एस
चुनाव अधिकारी
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब,
जिला कार्यालय ऊधम सिंह नगर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को प्रेषित

1–जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,ऊधम सिंह नगर ।
3–अध्यक्ष / सचिव , गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी श्री नानकमत्ता साहिब
4–गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के नोटिस बोर्ड पर उपरोक्त अधिसूचना व सूचियों का प्रकाशन
5–दिनांक 01.02.2022 को अमावस पर्व पर लगने वाले धार्मिक दीवान के दौरान उपरोक्त अधिसूचना की उदघोषणा
6– समाचार पत्र –दैनिक जागरण , अमर उजाला , उत्तर उजाला , (हिन्दुस्तान) हिन्दी, पंजाब केसरी के प्रचलित संस्करणों में उपरोक्त अधिसूचना का समाचार के रुप में प्रकाशन।
7–प्रबन्धक ,गुरुद्वारा नानकमता साहिब को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्रमांक 04,05 व 06 के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें व व्यापक प्रचार प्रसार कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें ।

31/01/2022
चुनाव अधिकारी